

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : नूरनगर परगना : (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 (01 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2019) भाग : 1 खाता संख्या : 01065

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
--	-------------	-----------------	------	---------

श्वेणी 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिघरों के अधिकार में हो।

<p>मै.बाबा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. / A-20 HIGफ्लैट, HIG डुल्केस / संजयनगर गा.बाद द्वारा डायरेक्टर अनुज जैन / धनपाल सिंह जैन / उत्तर कम्पनी</p>	<p>1069मि</p>	<p>2.4940</p>	<p>1419-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी गाजियाबाद वाद स. 22/ 11-12 अन्तर्गत धारा 143 30प्र० 0 ज०वि० 0 अधि० तह. व जिला गा.बाद नूरनगर परगना लोनी मैसर्स बाबा कंस्ट्रक्शन प्रा०लि० बनाम 30प्र० 0 सरकार ----- आदेश ----- ग्राम नूरनगर परगना लोनी के खाता खतौनी वर्ष 1415-1420 फसली</p> <p>के खाता न. 352 के खसरा न. 1069मि. रक्का 2.4940 है. स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी वाद के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गा.बाद की आँखा, शासनादेशों के क्रम में स्टाम्प अपवर्चना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं</p> <p>निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्राविधान पूर्व की भाँति यथावत लागू रहेंगे अकृषिक घोषित किया जाता है। यदि प्रस्त्रात भूमि के मध्य धारा 132 में वर्णित अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या वर्णित</p> <p>अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि स्थित है या वर्णित भूमि अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्ति की भूमि है और बिना अनुमति क्रय /विक्रय करने की नियत से धारा 143 30प्र० 0 ज०वि० 30 का प्रव्यापन कराया जा रहा है तो इस पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह</p> <p>कोई भी निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण / सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बौरे नहीं करेगा तथा भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी अप्रैतर कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष करेगा। एसडी० उपजिलाधिकारी</p>
--	---------------	---------------	---

			गाजियाबाद 4.1.12 ह.अ.र.का. 10.1.2012
			<p>1422-फ. अपर जिलाधिकारी (भ.अ.) सिचाईं गा.बाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्यापि वादस. 2 सन् 2011 मे उ.प्र. शासन आवास एवं शहरीनियोजन अनुभाग-3 की विज्ञप्ति स. 1689 / 8-3-13-84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसारनिम्नलिखित कृषकगणों की भूमि पर दि.</p> <p>10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है। स्तम्भ 1 मे उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 में उल्लिखित भूमि के खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण</p> <p>गाजियाबाद के नाम खतौनी मे दर्ज की जाये।विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूनगर , 69.शी एनजी डबलपर्स प्रा.लि. रजि. आफिस 78 सुखदेव विहार दिल्ली 25 व कारपोरेट आफिस एच 95 से- 63 नोएडा द्वारा डायरेक्टर एच.के. गर्ग पुत्र रोशनलाल, 70. मै. बाबा कन्सट्रक्शन प्रा.लि. ए-20 एच.आई. जी.</p> <p>इप्सेक्स सजय नगर गा.बाद द्वारा डायरेक्टर अनुज जैन पुत्र धनपाल जैन नि. उक्त, 71. जे.के.जी. रियलटेक प्रा.लि. द्वारा आफिस बी -174 योजना विहार दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मनीष कुमार गोयल पुत्र जे.के. गोयल खाता न. 352 खसरा न. 1069 अध्यापि भूमि का क्षेत्रफल 0.8775 है. मा.गु. जो कम की जायेगी</p> <p>34.35 , फसल व सन जबसे आदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ., अन्यविवरण मास्टर प्लान रोड हेतु । ह.अ. कलेक्टरभूमि अध्यापि प्रयोजनार्थ गाजियाबाद । ह.अ.र.का.26.2.15 ।</p>
योग	1	2.4940	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

